तारीख हुक्म	राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक–09.12.2023 रेफरल न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–3 सीकर प्रकरण इजराय सी.आई.एस. नम्बर 472/2015 श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम गोपाल प्रसाद शर्मा आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2023	पत्रावली आज सम्बन्धित न्यायालय से राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या–2 में रेफर की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–3 सीकर में दिनांक–04.12.2023 को उभय पक्ष समझाईश के तहत समझौता राशि 1,95,000/–रूपए पर सहमत हुए और उक्त समझौता राशि में से 30,000/–रूपए अदा कर शेष समझौता राशि 1,65,000/– रूपये 02 माह के भीतर मदयून द्वारा डिक्रीदार कम्पनी को अदा करने की सहमति दिये जाने एवं उक्त निश्चित समयावधि में मदयून द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में डिक्रीदार द्वारा सम्पूर्ण डिक्रीटल राशि प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहने बाबत मदयून पक्ष द्वारा सहमति दी गई है। लोक अदालत बैंच ने समाधान किया। चूंकि पक्षकारान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–03, सीकर में दिनांक 04.12.2023 को हुए समझौता अनुसार प्रकरण को निस्तारित करने हेतु सहमत है। अतः प्रकरण उभय पक्षकारान के मध्य दिनांक 04.12.2023 को हुए समझौता अनुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर हस्ताक्षर सदस्य अध्यक्ष लोक अदालत लोक अदालत	